

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/14197-396 दिनांक 27.3.19


विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:- दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 को कोषालयों/
उपकोषालयों द्वारा पारित किए जाने वाले ऑनलाइन
भुगतानों के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पूर्व पत्रांक 13587-13752 दिनांक
19.03.2019 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश दिनांक
26.03.2019


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त एजेन्सी बैंकों को दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में तथा उल्लेखित समयवधि में कोष/उपकोष कार्यालय दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 को भी सामान्य कार्य व्यवहार सम्पादित करेंगे तथा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/पी.डी. खाता धारकों/निर्माण खण्डों के बिल/पी.डी. भुगतान एडवाइस का निस्तारण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मैनुअल राजस्व प्राप्तियों हेतु एजेन्सी बैंकों की डेजीगनेटेड शाखाएँ दिनांक 30.03.2019 को 8.00 बजे तक व दिनांक 31.03.2019 को 6.00 बजे तक खुली रहेगी। अतः उक्तानुसार कार्यवाही हेतु समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जावे।


(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1) प्रमुवसं/बजट/18-19/ 11206-325 दिनांक : 29.3.19
प्रतिलिपि:- समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक प्रधान)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर